



टीका
जिला कलेक्टर

अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्त की विवाहित श्रीमती खसरा नम्बर 41 में से एकबा 0.02 है किस्म ब्राउन वाकें गाम कोटड़ी तहसील अलीगढ़ में राजकीय भूमि पर पड़ेवातवर्ती अतिक्रमण कर

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्त को सूचना देकर अपीलान्त को निर्णय दिया गया है। अपीलान्त ने किस्सी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर का निर्माण नहीं किया है। अपीलान्त का उक्त आराजगी से कोई संबंध अथवा संरोकार नहीं है। अपीलान्त द्वारा मौके पर कोई पड़ेवातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्त स्विकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर पूर्व रजिस्ट्रार किया गया एवं तलबी रेस्पॉन्डेंट जॉरिए समान की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस संपन्न हुई।

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नाथब तहसीलदार सीप ने अपने निर्णय दिनांक 13.01.2026 के द्वारा अपीलान्त को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 41 में से एकबा 0.02 हैकिस्म ब्राउन वाकें गाम कोटड़ी तहसील अलीगढ़ में राजकीय भूमि पर दृकान बनाकर अतिक्रमण करने के कारण पड़ेवातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए भूमि से बंदखल कर 200/रू. पनट्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अपीलान्त ने नाथब तहसीलदार सीप के उक्त आदेश से खिाहत होकर आदेश को खिलफ कर्न बताने हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

दिनांक 06.05.2026

निर्णय

व्यतिथि : (1) श्री रोमेश गुर्जर, अभिभाषक अपीलान्त
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पॉन्डेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान में राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय नाथब तहसीलदार सीप दिनांक 13.01.2026 सिविल नम्बर 531/2026
-रेस्पॉन्डेंट

नाथब तहसीलदार सीप जिला टोंक राज.

बनाम

-अपीलान्त

प्रभारण पुत्र मजीलाल सीमा निवासी कोटड़ी तहसील अलीगढ़ जिला टोंक राज.

24/02/2026
24.02.2026

प्रकरण संख्या
प्रतिष्ठि दिनांक

(टीना डाब्री, आडो 05050000 द्वारा अध्याक्षित)

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक



का
 (टीना डी) का
 का

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

खारिज किया जाता है।

तदखीलदार सौप का निर्णय दिनांक 13.01.2026 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्वयं
 फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नाथ

निर्णय में हेतुक्षेप किया जाना उचित नहीं होता है।

बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित
 है। अपीलान्त मॉसि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय मॉसि पर
 31.10.2025 से मॉसि से बंदखल किया गया है। अतिक्रमी बार-बार अतिक्रमण करने का आदी
 अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 595/2025 निर्णय दिनांक
 पत्रावली हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त मॉसि पर
 तदखील अलीगढ़ पर पत्रावली अतिक्रमण कर दूकान बनाकर अतिक्रमण किया है, जो
 द्वारा मॉसि खसरा नम्बर 41 में से रकबा 0.02 है 0 किस्म बंजड़ बाकें ग्राम कोटड़ी
 खस्य की गामील हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्त
 न्यायालय द्वारा नॉटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नॉटिस पर अपीलान्त की
 न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ
 अधीनस्थ न्यायालय की अपीलार्थीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ
 विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं

की जावे।

आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज
 से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय मॉसि पर बार-बार अतिक्रमण करने का
 मॉसि पर अतिक्रमण किया था, जो पत्रावली रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। अपीलान्त मॉसि पर
 गामील हुई है। अपीलान्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त
 को विधिवत नॉटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्त की विधिवत
 पत्रावली कथम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त
 दूकान बनाकर अतिक्रमण करने पर नाथ तदखीलदार सौप द्वारा मॉसि से बंदखल करने,